

89

न्यायालय श्रीमान म०प्र० राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा जिला रीवा म०प्र०



RS413-II/16

1. फूलमती बेवा स्व० हनुमान प्रसाद जायसवाल उम्र 57 वर्ष, Rs 30/-
2. राधेश्याम जायसवाल पिता स्व० हनुमान प्रसाद जायसवाल उम्र 37 वर्ष
3. सीताराम जायसवाल पिता स्व० हनुमान प्रसाद जायसवाल उम्र 26 वर्ष
4. महादेव जायसवाल पिता स्व० हनुमान प्रसाद जायसवाल उम्र 24 वर्ष, सभी निवासी ग्राम सरई तहसील सरई जिला सिंगरौली (म०प्र०)

--- आवेदिका/निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1. गणपतिश्या पुत्री स्व. हनुमान जायसवाल पत्नी जगधारी प्रसाद जायसवाल उम्र 35 वर्ष,
2. कुसमंती पुत्री स्व. हनुमान प्रसाद जायसवाल पत्नी रामकुशल जायसवाल उम्र 29 वर्ष,
3. सविता पुत्री स्व० हनुमान प्रसाद जायसवाल पत्नी रामदास जायसवाल उम्र 26 वर्ष सभी निवासी ग्राम उज्जैनी तहसील देउसर जिला सिंगरौली म०प्र०
4. थईया पुत्री स्व० हनुमान प्रसाद जायसवाल पत्नी शिव प्रसाद जायसवाल उम्र 46 वर्ष,
5. नचनी पुत्री स्व० हनुमान प्रसाद जायसवाल पत्नी संखलाल जायसवाल उम्र 41 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम पोस्ट सरई तहसील सरई जिला सिंगरौली म०प्र०

----- अनावेदक/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा, रा.प्र.क्र.-1369/अपील/15-16 मे पारित अतरिम आदेश दिनांक 30/08/2016 मे पारित किया गया। निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आवेदिकागण/ निगरानीकर्तागण के पिता द्वारा अपनी जीवन काल में माननीय तहसील न्यायालय सरई के राजस्व प्रकरण क्रमांक 182/अ27, 2014-15 पारित आदेश दिनांक

(Signature)

अधिवक्ता श्री ए.ए.ए. जायसवाल द्वारा पक्षा 21-9-2016

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 543-116

जिला- सिंगरौली

पक्षकार का नाम फूलप्रती जायसवाल / गुजराहीया जायसवाल बगैर

(1)	(2)	(3)
28.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	